भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2705

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खाद और बायो-गैस संयंत्र

2705. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जैविक खाद और बायो-गैस संयंत्रों के लिए किसानों को सहायता या सब्सिडी प्रदान करने का विचार है;

(ख) जैविक खाद के उत्पादन और नीति निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान फतेहपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश में कृषि स्टार्टअप और छोटे किसानों के लिए प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभदायक आदर्श खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्तर प्रदेश में डिजिटल मृदा मानचित्रण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले, जो अस्थिर सिंचाई, सूखा और एकल फसल जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, में सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण के लिए एक विशेष योजना लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों ही योजनाएँ जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणन और मार्केटिंग तक, संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर बल देती हैं।

पीकेवीवाई के अंतर्गत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, जैविक खाद सहित ऑन फार्म/ऑफ फार्म जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता आदि हेतु 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के तहत किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक आदानों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में जैव उर्वरक, जैविक उर्वरक, गैर-खाद्य डी-ऑइल केक, बायोस्टिमुलेंट, नैनो उर्वरक, किण्वित जैविक खाद (एफओएम), तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम), फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (पीआरओएम), सिटी कम्पोस्ट, जैविक खाद आदि को शामिल किया है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश के दूरस्थ, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों के प्रसार और स्थापना हेतु बायोगैस योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के अंतर्गत, इस कार्यक्रम को दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए दिनांक 02.11.2022 को जारी और अनुमोदित किया गया है।

बायोगैस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ रसोई ईंधन, प्रकाश व्यवस्था, उपयोगकर्ताओं की थर्मल और विकेन्द्रीकृत बिजली उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में सहायता करना तथा बायोगैस संयंत्र से उत्पादित स्लरी का संवर्धित जैविक ठोस बायोगैस उर्वरक के रूप में उपयोग, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार सृजन आदि है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का विवरण इस प्रकार है:
(i): छोटे बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर/दिन संयंत्र क्षमता) के लिए, घन मीटर में संयंत्र के आकार के आधार पर 9800/- रुपये से 70,400/- रुपये प्रति संयंत्र प्रदान किया जाता है।
(ii): 3 से 250 किलोवाट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन क्षमता: विद्युत उत्पादन के लिए 35,000/ रुपये से 45,000 / रुपये प्रति किलोवाट तथा विद्युत उत्पादन और थर्मल अनुप्रयोग (25 से 2500 घन मीटर बायोगैस उत्पादन प्रतिदिन से अधिक क्षमता) के लिए थर्मल अनुप्रयोगों हेतु (25-2500 घन मीटर/प्रतिदिन संयंत्र क्षमता) 17,500 रुपये /- से 22,500 रुपये /- प्रति किलोवाट समतुल्य प्रदान किया जाता है।

(ग) से (च): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बायोगैस संयंत्र और जैविक खाद तैयार करने के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) योजना के अंतर्गत जैविक/प्राकृतिक खेती की स्कीम है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्लस्टर स्तर पर किसान जैविक संसाधनों के रूप में घनजीवामृत और जीवामृत तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा जैविक खाद की कोई नीति नहीं बनाई गई है और किसानों को स्टार्टअप के लिए भी कोई सहायता नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्टअप को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। छोटे सीमांत किसानों के लिए मॉडल खेती की कोई नीति नहीं है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्तर पर मॉडल खेती मौजूद है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए डिजिटल सॉइल मैपिंग सुविधाओं का विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल सॉइल हेल्थ कार्ड (https://soilhealth.dac.gov.in) के अंतर्गत उपलब्ध है।

खेत और तालाब योजना उत्तर प्रदेश राज्य में जल संरक्षण के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई है।

*****